न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 68 / 2023

1. श्री चौथू पुत्र श्री भैरू जाति नायक निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. श्री पांचू पुत्र श्री भैरू जाति नायक निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मिश्री पुत्र हीरा जाति नायक निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. श्री नानू पुत्र हरलाल जाति नायक निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. श्री अब्दुल गफूर पुत्र श्री वजीर जाति मुसलमान निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. श्री अब्दुल हकीम पुत्र श्री वजीर जाति मुसलमान निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. श्री रूपचन्द पुत्र श्री गणेशीलाल जाति महाजन निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला केकड़ी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–21.06.2024

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी– श्री धर्मवीर बामनिया
2.पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा एकलसिंघा पटवार क्षेत्र एकलसिंघा भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंघा के खाता सं0 343 में दर्ज खसरा नं. 2341 रकबा 0.45, खसरा नं. 2342 रकबा 1.14, खसरा नं. 4411 रकबा 0.10 और खसरा नं. 4413 रकबा 0.22 कुल किता 04 कुल रकबा 1.91 हैक्ट** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 05 प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 06 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्राथी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 की नियमानुसार तलबी होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगणों के पत्रावली में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली में अप्रार्थी से जवाब प्राप्त कर पत्रावाली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

... कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन ...या। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया ...। उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 128 भू0रा0अधि0 सुनी गई। पत्रावली, जवाब प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम एकलसिंघा के खाता संख्या 343 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दीयों, दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा एकलसिंघा पटवार क्षेत्र एकलसिंघा भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंघा के खाता सं0 343 में दर्ज खसरा नं. 2341 रकबा 0.45, खसरा नं. 2342 रकबा 1.14, खसरा नं. 4411 रकबा 0.10 और खसरा नं. 4413 रकबा 0.22 कुल किता 04 कुल रकबा 1.91 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार भिनाय को 500/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)
सत्यमेव जयते

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)